न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 10/2021/दावा 136 एलआरएक्ट

• सोहनी उर्फ मीरा पुत्री पीथाराम पत्नि रिछपाल जाति जाट निवासीनी सांगलिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल निवासीनी बिडोली तहसील धोद जिला सीकर (राज0)।

–वादीनी

ब ना म

राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा व रिकॉर्ड संशोधन

उपस्थिति–

1. श्री बन्शीधर बाज्या वकील वादी की ओर से।

नि र्ण य **दिनांक – 14.07.2021**

1 वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वाके कृषि भूमि खसरा नम्बर 374, 331 ता 335, 340 ता 343 किता 9 कुल रकबा 11.1600 है0 ग्राम सांगलिया पटवार हल्का सांगलिया तह0 दांतारामगढ जिला सीकर (राज.) में अवस्थित है। उक्त भूमियों में प्रार्थीया/वादीनी का जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दर्जानुसार हक हिस्सा है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है, उक्त खातेदारी प्रार्थीया/वादीनी का नाम मीरा पुत्री पीथाराम के नाम से दर्ज है।प्रार्थीया/वादीनी का सही व वास्तविक नाम सोहनी उर्फ मीरा पुत्री पीथाराम पत्नि रिछपाल है जो निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड में वादीनी/प्रार्थीया का नाम सोहनी पुत्री पीथाराम पत्नि रिछपाल दर्ज है।राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादीनी/प्रार्थीया का नाम सोहनी उर्फ मीरा पुत्री पीथाराम पत्नि रिछपाल की जगह मीरा पुत्री पीथाराम दर्ज हो गया है जो गलत है, मीरा पुत्री पीथाराम की जगह वादीनी का सही व वास्तविक नाम सोहनी उर्फ मीरा पुत्री पीथाराम पत्नि

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

रिछपाल उदघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के ओदश पारित किया जाना साद प्रार्थनीय है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीनी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयों की लापरवाही से सोहनी उर्फ मीरा पुत्री पीथाराम पत्नि रिछपाल के स्थान पर मीरा पुत्री पीथाराम दर्ज हुआ है जो गलत है वादीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादीनी का सही व वास्तविक नाम सोहनी उर्फ मीरा पुत्री पीथाराम पत्नि रिछपाल है तथा सोहनी उर्फ मीरा पुत्री पीथाराम पत्नि रिछपाल व मीरा पुत्री पीथाराम एक ही महिला है जो संशोधन किये जाने योग्य है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 374, 331 ता 335, 340 ता 343 किता 9 कुल रकबा 11.1600 है0 ग्राम सांगलिया पटवार हल्का सांगलिया तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादीया का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम मीरा पुत्री पीथाराम के स्थान पर वादीया का सही व वास्तिविक नाम सोहनी उर्फ मीरा पत्नि रिछपाल दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम श्योपाल पुत्र कल्लूराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम मीरा पुत्री पीथाराम के स्थान पर वादीया का सही व वास्तिविक नाम सोहनी उर्फ मीरा पत्नि रिछपाल दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

बहस विद्वान अधिवंक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम सांगलिया के ख.नं. 331–332 से 335–340 से 343 किता 9 रकबा 11.16 व. 374 रकबा 2.40 में मीरा पुत्री पीथाराम हिस्सा 1/30 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड में सोहनी पत्नि रिछपाल जाति जाट निवासी बिडौली तहसील धोद सीकर दर्ज है। मौतविरानों से पूछताछ पर बताया गया कि प्रार्थीनी को मीरा पुत्री पीथाराम जाति जाट निवासी सांगलिया के नाम से जाना जाता है प्रार्थीनी का पीहर सांगलिया है प्रार्थीनी की शादी ग्राम बिडौली तहसील धोद सीकर में होना बताया गया है। संलग्न प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत सांगलिया के अनुसार सोहनी व मीरा देवी दोनों नाम एक ही महिला के है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादीया का दावा स्वीकार योग्य है। **वादीया का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 374, 331 ता 335, 340 ता 343 किता 9 कुल रकबा 11.1600 है0 ग्राम सांगलिया पटवार हल्का सांगलिया तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादीया का नाम मीरा पुत्री पीथाराम के स्थान पर वादीया का सही व वास्तिविक नाम सोहनी उर्फ मीरा पत्नि रिछपाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

सोहनी उर्फ मीरा बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 10/दावा सन् 2021 निर्णय दिनांक. 14.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी श्री बन्शीधर बाज्या मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर नम्बर 374, 331 ता 335, 340 ता 343 किता 9 कुल रकबा 11. 1600 है0 ग्राम सांगलिया पटवार हल्का सांगलिया तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादीया का नाम मीरा पुत्री पीथराम के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सोहनी उर्फ मीरा पत्नि रिछपाल संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.07.2021 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ